समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी

1. मोतीलाल तनय कनई कुम्हार
2. मानिकलाल तनय मोतीलाल कुम्हार
3. संतोष कुमार तनय मोतीलाल
4. श्रीमती भगवति पत्नी मोतीलाल समस्त निवासीगण ग्रम शक्तिभैरो तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म.प्र. .... आवेदकगण

विरूद्ध

मलखान यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव निवासी ग्रम व पोस्ट शाक्तिभैरो तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म.प्र. ।

........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध नायव तहसीलदार तरीचरकलां तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म.प्र. के प्र0क 12/अ–70/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 27.9.2017 के विरूद्ध निगरानी ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , अनावेदक द्वारा चोरी चुपके वगैर हितवद्ध पक्षकार को सूचना व सुनवाई का मोका दिये एक पक्षिय रूप से ग्रम शक्तिभैरो में स्थिति भूमि सर्वे कमाक 622/1, 680/1, 687/1 रकवा 0.227,0.172, एव 0.493 हे. भूमि का सीमांकन प्रकरण क 82/अ–12/16–17 दर्ज किया जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 30.6.2017 से कीगई

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3627

मोतीलाल आदि विरूद्ध मलखान यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तरीचकलां, तहसील निवाड़ी जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 12/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29–09–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 18/03/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	